

इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई काद टापर किया जाता है तथा टापर काद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ डिन्तोमा इन फर्नीचर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीओसीआईओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनयाम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टॉक, सज्ज-सज्जा उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभिलक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिम रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो से कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कार्य गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सज्ज-सज्जा पीओसीआईओपीओसीआईओपरिषद के मानकनुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनमक कार्यवाही की जाएगी।

(मुनीन कुमार सोनकर)

सचिव

पुं०सं०- प्राथि/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्राथि/परिषद

प्रधानाचार्य/निदेशक RADHA GOVIND INSTITUTE OF PHARMACY, 7TH KM BILARI ROAD, CHANDAUSI, MORADABAD-202411

(मुनीन कुमार सोनकर)

उत्तर प्रदेश प्रविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या:- प्राविधि/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संलग्नक: दिनांक: 30/08/2022

संलग्नक संख्या:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मचारी कालनियमित ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैदिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संसदओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० संलग्नक से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 30/08/2022 को परिषद कार्यसत्र में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० संलग्नक द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1226-RADHA GOVIND INSTITUTE OF PHARMACY

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, विनियमवली-2000, सेमेस्टर विनियमवली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनआदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय द्वैवीं पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय त्रिवैवी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय त्रिवैवी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनआदेश प्रभावी होने, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनताम दरें लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनआदेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनआदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम टापर किया जाता है तथा दापर कद के संबंध में मा. ग्यामंत्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनऊ द्वारा प्रवेश वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/वीथी प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सख-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला नुत्क, छात्रावास नुत्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त साधनरूप उपलब्ध कराने के साथ रीजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था या सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघटित पाठ्यक्रम को चलाने जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औपक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सख-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0-परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता खतों का अनुपालन न किये जाने अथवा खतों का उत्तरपेन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनसूचक कार्यवाही की जायेगी।


(एफ0आर0 खान)

सचिव

पु0सं0- प्राविधपरिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, RADHA GOVIND INSTITUTE OF PHARMACY


(एफ0आर0 खान)

सचिव

कार्यालय

संघिय प्राथमिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राजनगर

संख्या- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001

संलग्नक दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय द्वारा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघकृत द्वितीय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुसूचक विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राजनगर से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संघट्ट हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संघ-ओ को प्रस्ता अनुसूचक विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा तिरु गुरु निर्वान के अनुक्रम में संघ-ओ को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० राजनगर द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसके अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम	1226-RADHA GOWND INSTITUTE OF PHARMACY	ए०एन०डी०एन०डी०एन०डी०एन० द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुसूचित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुसूचित प्रवेश क्षमता
क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	60	60
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राथमिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 31/19-3099/9/2022 टीसी-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघकृत संस्था संघ-ओ की ओर से रिजल्ट भारतीय न्यायालय में संविदा रिट पत्रिका संख्या 5027/2023 में भारतीय न्यायालय के अधीन निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्दिष्ट की जाती है।
- ✓ संघ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के शासन के अनुक्रम संख्या में क्रमशः संस्थाएं (पुणे, भद्र, रैव उपखण्ड) अदि उपलब्ध है।
- ✓ संघ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एच 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद त्रिनिदादली 1992, त्रिनिदादली 2000, सेक्टर शिक्षणपाली 2018 तथा संघ-ओ पर निर्दिष्ट कार्यवाही के अनुपालन करेगी तथा सुलभ निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सुलभ ही प्रवेश क्षमता/प्रवेश में प्रवेश किया जायेगा। उपरोक्त के अधिकांश प्रवेश/प्रस्ताओं से चुनक के सम्बन्ध में संघ-ओ पर शासन द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले कार्यवाही प्रकृति होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाये आवश्यक होगा। निम्न निर्धारण समिति द्वारा यह सत्र 2023-24 हेतु फीस का पूर्णतः प्रदान किया जाये है, जो फीस की वसूलीय टरे लागू होगी।
- ✓ संघ में सुलभ प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अखिल उत्तरों को ही प्रवेश दिए जायेगा।
- ✓ संघ को संघ-ओ पर निर्दिष्ट कार्यवाही के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता चुनक प्राप्त करवा होगा।
- ✓ संघ-ओ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्दिष्ट त्रिनिदादली/अधिकांश/संघ-ओ/संघ-ओ/संघ-ओ एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उ० प्र०, सुलभ प्रवेश परीक्षा परिषद, उ० प्र० तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० द्वारा कबली गये निर्णय, निर्दिष्टों, अदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये कार्यवाही है।
- ✓ यदि संघ-ओ का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में अनुसूचक विस्तार किया जाये है तो इस संघ में संघ-ओ प्रवेश/प्रवेश संघ-ओ का प्रवेश और शिक्षण कार्य से किसी भी कार्यवाही के तिरु संघ-ओ उत्तरदायी होगी। प्राथमिक

शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई याद दायर किया जाता है तथा दायर याद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश कर्ष के लिए अधोनिर्गत प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्मिकी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राथमिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, सार-सञ्ज्ञा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को विध्यम-प्रतिव्यय हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ जैंगिय रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशन समिती के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा (समितीय) और उपसमितीय, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाय। विनियमसूची, 2000 के प्राधिकारानुसार परिषद की मांग पर अपने कार्यवाही, भवन और फर्नीचर को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के अधिकार स्वामीय निर्देशन के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार-सञ्ज्ञा ए०आई०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता सल्लों का अनुपालन न किये जाने अथवा सल्लों का उल्लंघन किये जाने की विधि में नियमानुसार अनुयासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पृ०सं०- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्राथिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, RADHA GOVIND INSTITUTE OF PHARMACY

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव